न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 20/2020 G.C.M.S. No. 2020/00078 दर्ज दिनांक : 03.06.2020

अपीलार्थिगणः

1. पदमाराम पुत्र किशनाजी, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1- पोकरराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

2- मृतक भीमाराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली के कायम मुकामः—

2/1 नाथाराम पुत्र भीमाराम

2/2 गणेश पुत्र भीमाराम

2/3 विक्रम पुत्र भीमाराम

2/4 खम्मा बेवा भीमाराम

2/5 अंजू पुत्री भीमाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

3- अमराराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम

4- सकुदेवी बेवा स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम

5- गोपी पुत्री स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम

6- मोडाराम पुत्र मादाजी

7- दूदाराम पुत्र मादाजी

8- लक्ष्मणराम पुत्र किशनाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

9- दुर्गाराम पुत्र किशना

10- मृतक राजाराम पुत्र किशना, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली के कायम मुकामः—

10/1 पानी बेवा राजाराम

10/2 ओमाराम पुत्र राजाराम

10/3 जबराराम पुत्र राजाराम

10/4 गोविंदराम पुत्र राजाराम

10/5 महेन्द्र पुत्र राजाराम

10/6 प्रकाश पुत्र राजाराम

10/7 दाकुदेवी पुत्री राजाराम

10/8 पुष्पादेवी पुत्री राजाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

11- मांगीलाल पुत्र पूनम

12- वक्ताराम पुत्र पूनम

13- भीमाराम पुत्र पूनम

14- हिरीदेवी पुत्री पूनम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

15- वीरीदेवी पुत्री पूनम
16- प्रवीण पुत्र राजाराम
17- धापू पुत्री राजाराम
18- भीरा पुत्री राजाराम
19- रामाराम पुत्र धन्नाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
20- वागसिंह पुत्र भोपालसिंह
21- प्यारसिंह पुत्र भोपालसिंह
22- राजूसिंह पुत्र भोपालसिंह
23- रामसिंह पुत्र भोपालसिंह
24- चुन्नीलाल पुत्र भोपालसिंह
25- हमीरसिंह पुत्र भोपालसिंह
26- नारायणीदेवी पत्नि जबरसिंह
27- शेरसिंह पुत्र जबरसिंह
28- जितेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह
29- शंकरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, जातिगण राजपुरोहित, निवासी ग्राम बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
30- राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान पोकरराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 17.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान पोकरराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 8 ने अपीलांट व शेष रेस्पोंडेंट के विरूद्ध एक वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम बिठू, तहसील रोहट के खसरा नंबर 257/1, 257/2, 257/5 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 257/4 रकबा 32 बीघा एवं खसरा नंबर 257/3 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत कर बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अन्तिम डिक्री जैर अपील में अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्ट्स के वादपत्र में अंकित हिस्सों एवं मौके पर काबिज अनुसार जमीन एवं लगान का बंटवाड़ा नहीं किया जाने से डिक्री दिनांक 15.05.2017 गैर कानूनी एवं शून्य है। जो माफिक वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशानुसार बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स द्वारा तय नहीं की गई एवं न ही ऐसी पालना रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2016 की पालना में तहसीलदार, रोहट से तथाकथित प्रस्तावित पालना रिपोर्ट कत्तई तलब नहीं की गई हैं, जिससे कानून की अहम स्थिति को अनदेखा करते हुये प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2016 के अभाव में पटवारी हल्का बिटू द्वारा प्रस्तुत नाजायज प्रस्तावित पालना रिपोर्ट को आधार मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं, जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 में वर्णित तमाम सह–खातेदारान मय अपीलाण्ट जो बंटवाडा के वाद में आवश्यक पक्षकार कानूनन होते हैं, की अनुपस्थिति में न्याय आपके द्वार कैम्प बिटू में सुनवाई हेतु बिना जवाब, शहादत, सुनवाई का नोटिस दिए विधि विरूद्ध तरीके से शून्य आंशिक सहमति एवं अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षरशुदा आंशिक सहमति जवाबदावा कानून की मंशा पर आधारित नहीं होते हुए अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त आराजी के तमाम सह–खातेदारान की ओर से उक्त जवाबदावा को मानते हुए बंटवाड़ा बाबत निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2016 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 पारित की गई हैं, जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त आराजी के तमाम पक्षकारान को बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जिसकी अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अदालत मातहत के समक्ष पेश वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2016 व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 साक्ष्य, सबूत पर आधारित कतई नहीं होने से भी कानूनन काबिल निरस्त है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात जब तक गवाह से प्रदर्शित नहीं करवाया जाता, तब तक ऐसे दस्तावेजात साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होते हैं। जिससे कानून की अहम स्थिति को नजरअन्दाज करते हुए अदालत मातहत द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ दस्तावेजी साक्ष्य को अपनी मनमर्जी से निर्णय व डिक्री में हवाला देते हुए विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.04.2023 द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि उसे सूचित किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। जो काबिल अपास्त है, के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तहसीलदार रोहट द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है तथा अपीलांट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 जिसमें अपीलांट भी शामिल है, द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र, जवाबदावा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट व दीगर प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी सहमति के आधार पर पूर्व में विभाजित हिस्सों व कब्जे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में विभाजन कराने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए प्रतिवादीगण सहमत होने तथा लोक अदालत की भावना से राजस्व न्याय आपके द्वार अभियान में बंटवाड़ा हेतु सहमत होना अंकित करते हुए मुताबिक वाद हिस्सा अलग–अलग बंटवाड़ा तरमीम अंकित किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार रेस्पोंडेंट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संबंध में अपीलांट सहित प्रतिवादीगण द्वारा लिखित सहमति जवाबदावे के रूप में प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलांट के भी हस्ताक्षर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह भी निवेदन किया है कि खसरा संख्या 557/4 में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 के मकानात, बाड़े आदि बने हुए हैं। जिसे रेस्पोंडेंट वादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 3 व 5 में भी अंकित किया हुआ है तथा इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र से सहमति जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा किए गए विभाजन से अपीलांट रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 के मकान व बाड़े के हिस्से को गलत रूप से वादीगण के हिस्से में तरमीम कर दिया गया। जोकि विधिविरूद्ध है। इस संबंध में न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, वादपत्र व अपीलांट सहित प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाबदावा, विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्तावित नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वस्तुतः विभाजन के दौरान पक्षकारान के हिस्से में प्रस्तावित रकबे को लेकर विवाद नहीं होकर खसरा संख्या 257/4 में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 257/9 रकबा 5–10 बीघा एवं वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 पोकर वगैरह के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 257/4 रकबा 29–04 बीघा की अंतिम डिक्री उपरांत भूनक्शा में की गई तरमीम को लेकर मुख्य विवाद है, जिसे संबंधित पक्षकारान को प्रस्तावित रकबा को यथावत रखते हुए मौके पर अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 के मकानात व बाड़े के वास्तविक निर्मित व अधिवासित भूभाग को शामिल करते हुए इसी अनुरूप भू–अभिलेख में तरमीम की जाकर विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। क्योंकि अपीलांट सहित प्रतिवादीगण व वादीगण इस संबंध में सहमत है, तथा जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात के मूल खसरा संख्या 257/4 में से विभाजन प्रस्ताव द्वारा अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण के लिए प्रस्तावित खसरा संख्या 257/9 रकबा 5–10 बीघा को यथावत रखते हुए संबंधित हल्का पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा मूल खसरा संख्या 257/4 में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 के वास्तविक निर्मित व अधिवासित मकानात व बाड़ा के भू–भाग को शामिल करते हुए खसरा संख्या 257/9 व 257/4 की भू–अभिलेख में तरमीम संशोधित करने का निर्देश दिया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की जाकर संबंधित हल्का पटवारी एवं भू.अ.नि. को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान पोकरराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से ग्राम बिठू की वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 257/4 का विभाजन हेतु अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 को प्रस्तावित खसरा संख्या 257/9 रकबा 5–10 बीघा एवं वादीगण पोकरराम वगैरह को प्रस्तावित खसरा संख्या 257/4 रकबा 29–04 बीघा के रकबे को यथावत रखते हुए मूल खसरा संख्या 257/4 में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 के वास्तविक निर्मित व अधिवासित मकानात व बाड़ा आदि के भूभाग को जहां तक संभव हों, शामिल करते हुए खसरा संख्या 257/9 की तरमीम इसी अनुरूप संशोधित की जावें। शेष निर्णय व डिक्री यथावत रहेगा। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को इसी अनुरूप संशोधित किया जाता है। संबंधित भू.अ.नि. व पटवारी मौके पर उपस्थित होकर माप आदि कर इसी अनुरूप रकबे को यथावत रखते हुए भूनक्शा में तरमीम संशोधित करें। संबंधित तहसीलदार पालना सुनिश्चित करावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हों, जो इस निर्णय का भाग होगा। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **17.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 20/2020 G.C.M.S. No. 2020/00078 दर्ज दिनांक : 03.06.2020

अपीलार्थिगणः

1. पदमाराम पुत्र किशनाजी, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1- पोकरराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

2- मृतक भीमाराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम, जाति पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली के कायम मुकामः—

2/1 नाथाराम पुत्र भीमाराम

2/2 गणेश पुत्र भीमाराम

2/3 विक्रम पुत्र भीमाराम

2/4 खम्मा बेवा भीमाराम

2/5 अंजू पुत्री भीमाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

3- अमराराम पुत्र स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम

4- सकुदेवी बेवा स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम

5- गोपी पुत्री स्वर्गीय कसीया उर्फ किशनाराम

6- मोडाराम पुत्र मादाजी

7- दूदाराम पुत्र मादाजी

8- लक्ष्मणराम पुत्र किशनाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

9- दुर्गाराम पुत्र किशना

10- मृतक राजाराम पुत्र किशना, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली के कायम मुकामः—

10/1 पानी बेवा राजाराम

10/2 ओमाराम पुत्र राजाराम

10/3 जबराराम पुत्र राजाराम

10/4 गोविंदराम पुत्र राजाराम

10/5 महेन्द्र पुत्र राजाराम

10/6 प्रकाश पुत्र राजाराम

10/7 दाकुदेवी पुत्री राजाराम

10/8 पुष्पादेवी पुत्री राजाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।

11- मांगीलाल पुत्र पूनम

12- वक्ताराम पुत्र पूनम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

13- भीमाराम पुत्र पूनम
14- हिरीदेवी पुत्री पूनम
15- वीरीदेवी पुत्री पूनम
16- प्रवीण पुत्र राजाराम
17- धापू पुत्री राजाराम
18- मीरा पुत्री राजाराम
19- रामाराम पुत्र धन्नाराम, जातिगण पटेल, निवासी बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
20- वागसिंह पुत्र भोपालसिंह
21- प्यारसिंह पुत्र भोपालसिंह
22- राजूसिंह पुत्र भोपालसिंह
23- रामसिंह पुत्र भोपालसिंह
24- चुन्नीलाल पुत्र भोपालसिंह
25- हमीरसिंह पुत्र भोपालसिंह
26- नारायणीदेवी पत्नि जबरसिंह
27- शेरसिंह पुत्र जबरसिंह
28- जितेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह
29- शंकरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, जातिगण राजपुरोहित, निवासी ग्राम बिठू, तहसील रोहट, जिला पाली।
30- राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान पोकरराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मदनदास वैष्णव विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट तथा श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं, तथा राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान पोकरराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से ग्राम बिठू की वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा संख्या 257/4 का विभाजन हेतु अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 को प्रस्तावित खसरा संख्या 257/9 रकबा 5–10 बीघा एवं वादीगण पोकरराम वगैरह को प्रस्तावित खसरा संख्या 257/4 रकबा 29–04 बीघा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रकबे को यथावत रखते हुए मूल खसरा संख्या 257/4 में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 9 व 10 के वास्तविक निर्मित व अधिवासित मकानात व बाड़ा आदि के भूभाग को जहां तक संभव हों, शामिल करते हुए खसरा संख्या 257/9 की तरमीम इसी अनुरूप संशोधित की जावें। शेष निर्णय व डिक्री यथावत रहेगा। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को इसी अनुरूप संशोधित किया जाता है। संबंधित भू.अ.नि. व पटवारी मौके पर उपस्थित होकर माप आदि कर इसी अनुरूप रकबे को यथावत रखते हुए भूनक्शा में तरमीम संशोधित करें। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक **17.07.2025** को जारी किया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मुहर अदालत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक					
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with OKEN Scanner